

चेक लिस्ट क्रमांक-26

वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन मय स्पष्ट अनुशंसा, नाम, पदनाम, सील एवं दिनोंक सहित (प्रपत्र-I से IV तक) प्रपत्र चार मुख्यालय से भरा जावेगा।

फार्म - 'क'
राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा - 2 के अंतर्गत पूर्व अनुमति लेने की फार्म
भाग - 1
(प्रयोक्ता एंजेसी द्वारा भरे जाने के लिए)

1. परियोजना विवरण :-		
(i)	अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण	ग्राम-हाटी (धरमजयगढ़) वन कक्ष क्रमांक PF-551 कुल रकबा 6.823 हे० वन भूमि में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी सिविल संभाग रायगढ़, जिला-रायगढ़ द्वारा 220/132/33 के०व्ही० उपकेन्द्र धरमजयगढ़, निर्माण हेतु प्रस्तावित है।
(ii)	1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आसपास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप	मानचित्र संलग्न है।
(iii)	परियोजना की लागत	रु. 50.00 करोड़
(iv)	वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने औचित्य	ग्राम-हाटी (धरमजयगढ़) वन कक्ष क्रमांक PF-551 कुल रकबा 6.823 हे० वन भूमि में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी सिविल संभाग रायगढ़, जिला-रायगढ़ द्वारा 220/132/33 के०व्ही० उपकेन्द्र धरमजयगढ़, निर्माण हेतु प्रस्तावित है। इस उपकेन्द्र हेतु चयनित वर्तमान भूमि भौगोलिक, तकनीकी एवं पहुंच मार्ग की दृष्टि से सर्वथा उपयुक्त है। अतः इस स्थल को ही अंतिम रूप से चयनित किया गया है।
(v)	लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए)-	संलग्न है।
(vi)	रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है	220/132/33 के०व्ही० उपकेन्द्र धरमजयगढ़ के निर्माण के समय 50 अस्थायी व स्थापना के पश्चात् उक्त उपकेन्द्र के संचालन एवं रखरखाव हेतु लगभग 25 स्थायी कर्मचारियों की पदस्थ किया जायेगा।
2.	कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण	ग्राम-हाटी (धरमजयगढ़) वन कक्ष क्रमांक PF-551 कुल रकबा 6.823 हे० वन भूमि वन भूमि में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी सिविल संभाग रायगढ़, जिला-रायगढ़ द्वारा 220/132/33 के०व्ही० उपकेन्द्र धरमजयगढ़, निर्माण हेतु प्रस्तावित है।
3.	परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है-	
(i)	परिवारों की संख्या	लागू नहीं है।
(ii)	अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या	लागू नहीं है।

	(iii) पुनर्वास योजना (संलग्न किए जाने के लिए)	लागू नहीं है।
4.	क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत मंजूरी आवश्यक है? (हां/नहीं)	आवश्यक नहीं।
5.	प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और/या दण्डस्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में (वचनबद्धता संलग्न की जाए)	वचन पत्र संलग्न है।
6.	निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का ब्यौरा	चेक लिस्ट के अनुसार सभी प्रमाण पत्र/दस्तावेज संलग्न है।


 (ए.के. खसखो)
 कार्यपालन अभियंता (सिविल) संभाग
 छ०रा०वि०पारे०क०मर्या०, रायगढ़

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के रापत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग - 2

(संबंधित उप वन संरक्षण द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या

7.	परियोजना/स्कीम का स्थान		
(i)	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	-	छत्तीसगढ़ राज्य
(ii)	जिला	-	रायगढ़
(iii)	वन प्रभाग	-	धरमजयगढ़ वनमण्डल
(iv)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर में)	-	6.823 हेक्टेयर
(v)	वन की कानूनी स्थिति	-	ग्राम-हाटी (धरमजयगढ़) वन कक्ष क्रमांक PF-551 कुल रकबा 6.823 हे० वन भूमि वन भूमि में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी सिविल संभाग रायगढ़, जिला-रायगढ़ द्वारा 220/132/33 के०व्ही० उपकेन्द्र धरमजयगढ़ निर्माण हेतु प्रस्तावित
(vi)	हरियाली का घनत्व	-	0.4
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणी वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए) सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ. आर.एल.- 04 मीटर भी संलग्न की जाए।	-	वृक्ष संख्या प्रजातिवार गणना पत्रक संलग्न है।
(viii)	भू-क्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पटी	-	-
(ix)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्ताव की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	-	वन क्षेत्र से लगा हुआ है।
(x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरिडोर आदि का भाग है (यदि हाँ क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जाएं)	-	नहीं।
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दूलर्भ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती है यदि	-	नहीं।

रिपोर्ट विशेषता उपर्युक्त कॉलम 7 (xi, xii) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)		कारण वन संरक्षण की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट आवश्यक नहीं है।
12	विभाग/जिला प्रोफाइल	
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	- 6527.44 वर्ग किलो मीटर
(ii)	जिले का वन क्षेत्र	- अभिसूचित 1713.419 वर्ग किलो मीटर
(iii)	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनोत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	- 08 प्रकरण रकबा 419.423 हे०
(iv)	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण	-
(क)	वनभूमि पर (दण्ड के रूप में)	- 50.00
(ख)	वनोत्तर भूमि पर	- 0.00
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति	
(क)	वनभूमि	- 1917.627 हे०
(ख)	वनोत्तर भूमि पर	0.00
13	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षण की विशेष सिफारिश	- ग्राम-हाटी (धरमजयगढ़) वन कक्ष क्रमांक PF-551 कुल रकबा 6.823 हे० वन भूमि वन भूमि में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी सिविल संभाग रायगढ़, जिला-रायगढ़ द्वारा 220/132/33 के०व्ही० उपकेन्द्र निर्माण हेतु आवश्यक है। अतः भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव की स्वीकृती हेतु अनुशंसा एतद् द्वारा की जाती है।

(अभिषेक जोगावत)
(भा.व.से)

वनमण्डलाधिकारी
धरमजयगढ़ वनमण्डल धरमजयगढ़
19/10/2022

चेक लिस्ट क्र.-26

प्रपत्र-3

वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत किये जाने वाले प्रस्ताव पर वन संरक्षण/व.म.अ. का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन
(भारत सरकार के रापत्र अधिसूचना अनुसार)

1.	परियोजना का नाम	220/132/33 के०व्ही० उपकेन्द्र की स्थापना		
2.	आवेदक/आवेदक विभाग का नाम	कार्यपालन अभियंता (सिविल) संभाग छ.रा.वि.पारे.कं.मर्या., रायगढ़ (छ.ग.)		
3.	गैर वनिकी कार्य जिस हेतु वन भूमि की माँग	220/132/33 के०व्ही० उपकेन्द्र की स्थापना कार्य		
4.	आवेदित क्षेत्र की स्थिति	आवेदित क्षेत्र 6.823 हेक्टेयर		
		जिला	वनमण्डल	परियोजना स्थल
		रायगढ़	धरमजयगढ़	ग्राम-हाटी (धरमजयगढ़)
5.	वनभूमि का विस्तृत विवरण			
	(क) आरक्षित वन/संरक्षित वन	संरक्षित वन		
	(ख) सीमांकित संरक्षित वन	6.823		
	(ग) असीमांकित संरक्षित वन	0		
	(घ) राजस्व वन क्षेत्र	-		
6.	आवेदित वन क्षेत्र में वनों की वर्तमान स्थिति प्रकार	साल/सागौन/मिश्रित-मिश्रित साईट क्वालिटी - III घनत्व - 0.4		
7.	आवेदित क्षेत्र में वृक्षों का विवरण	कुल 189.. वृक्ष गणना पत्रक संलग्न है।		
8.	आवेदित क्षेत्र में प्राकृतिक पुनरुत्पादन की स्थिति	-		
9.	आवेदित क्षेत्र की (विशेषकर खनिज प्रकरणों) में मुख्य मार्ग से (PWD) आदि से दूरी जिसे स्पष्ट रूप से मानचित्र में भी अंकित करें।	मानचित्र पर अंकित		
10.	क्या आवेदित क्षेत्र किसी ECO LOGICAL SENSITIVE क्षेत्र = (राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण) Biosphere Reserse प्राकृतिक झील/वाटरबाड़ी आदिवासी सेटलमेंट क्षेत्र धार्मिक स्थल की सीमा के 5 वर्ग कि.मी. के अंतर्गत है अथवा नहीं यदि हाँ तो संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करें।	नहीं		

1. आवेदित वन क्षेत्र के आलावा अन्य गैर वन क्षेत्र विकल्प के रूप में प्रस्तावित गैर वानिकी कार्य हेतु उपलब्ध अथवा नहीं। विशेषकर खनिज उत्खनन प्रकरणों में आवेदित क्षेत्र के आसपास के 20.00 कि.मी. 2 में गैर वन क्षेत्र का निरीक्षण कर जिलाध्यक्ष भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा पूर्व स्वीकृत खदानों की संख्या बतावें एवं उसे मानचित्र पर भी दर्शाया जावें।	नहीं।
12. आवेदित क्षेत्र में आवेदक द्वारा अधिनियम का उल्लंघन किया गया है। या नहीं यदि हों संक्षिप्त विवरण देंगे।	नहीं हैं।

प्रमाण पत्र

उपरोक्त जानकारी/विवरण द्वारा किये गये भौतिक निरीक्षण के आधार पर है। आवेदक द्वारा माँग की गई वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु अनुशंसा की जाती है।


 (अभिषेक जोगावत)
 (भा.व.से.)
 वनमण्डलाधिकारी
 वनमण्डल धरमजयगढ़
 10/10/2022

भाग-3

(संबंधित मुख्य वन संरक्षण द्वारा भरा जाना है।)

क्रमांक	प्रस्ताव की प्रकृति	लागू/लागू नहीं
14	स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक वन के निरीक्षण किया है (हों/नहीं) यदि हों तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षणों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें	
15	क्या संबंधित वन संरक्षक भाग-ख में दी गई सूचना और उपवन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।	
16	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।	

तिथि
स्थान

मुख्य वनसंरक्षक
वनवृत्त बिलासपुर

भाग-4

(नोडल अधिकारी अथवा - प्रधान वन संरक्षक अथवा
अध्यक्ष वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

क्रमांक	प्रस्ताव की प्रकृति	लागू/लागू नहीं
17	टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उपवन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाये और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाये।)	

हस्ताक्षर

नाम/पद

सरकारी मोहर

तिथि

स्थान

भाग-5

(वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार का कोई अन्य प्राधिकृत पदाधिकारी जो अपर सचिव के पद से निचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाता है।)

क्रमांक	प्रस्ताव की प्रकृति	लागू/लागू नहीं
18	राज्य सरकार की सिफारिशें (उपर्युक्त भाग-ख या भाग-ग या भाग-घ में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशेष रूप से टिप्पणी की जानी है)	

हस्ताक्षर

नाम/पद

सरकारी मोहर

तिथि

स्थान